संख्या-8/2023/I/281335/38-2002-002-09/2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य् विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2023**

विषयः-**दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की कतिपय अन्य मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-518/1प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2022-23 दिनांक 06 दिसम्बर 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान-" की मानक मद 01-वेतन से कतिपय अन्य मानक मदों में धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान-" की मानक मद 01-वेतन से मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 5.00 लाख, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान मद में रू0 5.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 20.00 लाख तथा 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 40.00 लाख अर्थात् कुल रू0 70.00 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकता वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
2	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
3	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
4	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			**70,00,000** **(रुपये सत्तर लाख मात्र)**

महायोग	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव

संख्या-8/2023/I/281335/38-2002-002-09/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री हरीराम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
5- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20222023-38-2002-002-09-2022

विषय:-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की कतिपय अन्य मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	01 (वेतन)	44,33,80,000 रुपये चवालीस करोड़ तैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र	1,82,15,000 रुपये एक करोड़ बयासी लाख पंद्रह हजार मात्र	1,82,15,000 रुपये एक करोड़ बयासी लाख पंद्रह हजार मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	43,63,80,000 रुपये तैंतालीस करोड़ त्रेसठ लाख अस्सी हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 1,82,15,000	₹ 70,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का	58 (आउट सोर्सिंग	15,00,000 रुपये पंद्रह	89,75,000 रुपये नवासी	40,00,000 रुपये चालीस	55,00,000 रुपये पचपन	2022-2023

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
	प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	सेवाओं हेतु भुगतान)	लाख मात्र	लाख पचहत्तर हजार मात्र	लाख मात्र	लाख मात्र	
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	49 (चिकित्सा व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	58,01,000 रुपये अट्ठायन लाख एक हजार मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	2022-2023
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2022-2023
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	10,30,000 रुपये दस लाख तीस हजार मात्र	0	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	2022-2023
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	17,09,000 रुपये सत्रह लाख नौ हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 1,82,15,000	₹ 70,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यक धनराशि का ही आहरण कोषागार से चरणों में किया जायेगा

(2) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-357-E-2-184-X-2022-23-दिनांक:18-02-2023

सेवा में,

महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 24-02-2023 16:19:17
Reason: Approved
(फूलचन्द यादव)
अनु सचिव

Signed by रमेश चन्द्र मिश्र
(रमेश चन्द्र मिश्र)
उप सचिव
Date: 23-02-2023 15:50:12
Reason: Approved